संख्या -35/2015/1267/38-4-15-22(बजट)/2014

प्रेषकए

उमा कान्त मिश्र
उप सचिव
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा मेंए

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0 लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 01 दिसम्बर 2015

विषयः-इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-13 में केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति । (50 प्रतिशत केन्द्रांश-50 प्रतिशत राज्यांश)

महोदय

इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-13 में वित्तीय वर्ष-2015-16 में शासनादेश संख्या-25/2015/981/38-4-15-22(बजट)/2014 दिनांक-29-07-2015 द्वारा रूपये 327.24986700 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-111/सम्प्रेक्षा/इ0आ0यो0/2015-16 दिनांक-02 सितम्बर 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि रू0-11,90,19,40,000 की अवशेष धनराशि में से केन्द्रांश की धनराशि रू0-67,71,42,400.00 एवं राज्यांश की धनराशि रू0-67,71,42,400.00 अर्थात कुल रू0-1,35,42,84,800 (रूपये एक अरब पैंतीस करोड़ बयालिस लाख चौरासी हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृत श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1)- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी भी दशा में पी0एल0ए0 मे जमा नहीं किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का संग्रहण/व्यय आदि के सम्बन्ध में इन्दिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशों के प्राविधानों के तहत वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-21 मार्च, 2012 में निदिष्ट व्यवस्थानुसार कार्यवाही/व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा धनराशि आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 में रखी जाये।

(3)- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को नये इन्दिरा आवासों/कच्चे आवासों का पक्का आवासों के उच्चीकृत/निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य मद में धनराशि का व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इन्दिरा आवास योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

(6)- इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015-बी-1-925 /दस-2015-231/2015 दिनांक-30 मार्च 2015 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन संलग्न जनपदवार फॉट (16 जनपदो के फॉट की प्रति संलग्न) के अनुसार करते हुए सम्बन्धित जनपदों को धनराशि का आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-02-इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना)-0201-इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0-75/रा-25-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-2-1059/दस-2015, दिनाक-27 नवम्बर, 2015 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-35/2015/1267 (1)/38-4-2015 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी।
3- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश।
4- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक एवं जिला विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक कोषागार उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6- संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकारए नई दिल्ली ।
7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11- गार्डबुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in